<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाधाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—50 / 2002</u> <u>संस्थित दिनांक—26.12.1997</u> <u>फाईलिंग क.234503000262002</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बैहर,
जिला–बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — अभियोजन
// विरूद्ध //
हरिप्रसाद पिता जयपाल गोंड, उम्र–30 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी–ग्राम रजमा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>आरोपी</u>
4
// <u>निर्णय</u> //
(आज दिनांक-26 / 10 / 2015) को घोषित)

- 1— आरोपी हिरप्रसाद के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294, 323(दो बार) के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—23.10.1997 को थाना बैहर अंतर्गत ग्राम सरेखाकला में लक्ष्मण पटेल के खेत के पास नाला में नान्हूलाल को उस दिशा में जाने से रोका, जिस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित कर, फरियादी को लोकस्थान पर मॉ—बहन चोदू, मादरचोद की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा आहत नान्हूलाल एवं रामबतीबाई को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—23.10.1997 को दिन के 10:00 बजे फरियादी नान्हूलाल, लक्ष्मण पटेल के खेत में लेट्रिंग करने गया था और गांव का हिर गोंड नाला में चौरया लगाकर मछली मार रहा था। जब वह लेट्रिंग करके वापस आ रहा था, तब उसे देखकर हिर गोंड उसके पास आया और बोला कि तू जादूखोर है और मेरे बाल बच्चों को तंगाता है कहकर तेरी माँ—बहन को चोदू, साले मादरचोद की गंदी—गंदी गालियां दिया और हाथ में रखी लाठी से उसके सिर में, पीठ में तथा कमर में एवं दोनों हाथों की भुजाओं में मारा। उक्त घटना को शंभूलाल लोहार, खोजराम पंवार ने देखा है। उसके पड़ोस की मुन्नीबाई ने उसकी पत्नी रामबतीबाई को बताई तो उसे पकड़कर रामबतीबाई घर ले जा रही थी, तो रास्ते में

हिर गोंड मिला, जिसे उसकी पत्नी ने बोला कि उसके पित को क्यों मारा है, तो उसे भी हिर गोंड ने लकड़ी से दोनों जांघ पर मारा। उक्त घटना की रिपोर्ट फिरियादी नान्हूलाल ने थाना बैहर में आरोपी के विरूद्ध की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—156/97, धारा—341, 294, 324 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294, 323 (दो बार) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— У प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—23.10.1997 को थाना बैहर अंतर्गत ग्राम सरेखाकला में लक्ष्मण पटेल के खेत के पास नाला में नान्हूलाल को उस दिशा में जाने से रोका, जिस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को लोकस्थान पर मॉ—बहन चोदू, मादरचोद की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत नान्हूलाल एवं रामबतीबाई को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत नान्हू (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह सभी आरोपी को जानता है। आरोपी उसके साथ मारपीट कर कहता था कि वह सोदा है और उसके बाल—बच्चों को खाता है। आरोपी ने लकड़ी से उसे सिर और हाथ में मारा था, जिससे उसके हाथ की उंगली टेढ़ी हो गई है। आरोपी ने उसकी पत्नी को भी लकड़ी से मारा था। आरोपी उसे मॉ—बहन की गाली बक रहा था, जो उसे सुनने में बुरी लग रही थी। उक्त घटना को शंभूलाल तथा खोजराम अमूले ने देखे थे। उसने

उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में जाकर की थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका व उसकी पत्नी का डॉक्टरी ईलाज हुआ था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने मामलें में उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसका खण्डन नहीं होने से उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उसे व उसकी पत्नी को आरोपी द्वारा मारपीट कर उपहित कारित करने की पुष्टि की है।

- 6— रामबतीबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। प्रार्थी नान्हूलाल उसका पित है। करीब चार वर्ष पहले आरोपी ने उसके पित नान्हूलाल को लकड़ी से मारा था। वह बीच—बचाव करने गई थी तो आरोपी ने उसे भी मारा था, क्योंकि उसने आरोपी को डांटा था। आरोपी बोल रहा था कि यह सोदाहा है, उसके बाल—बच्चे को खाता है। इसी कारण आरोपी ने उसके साथ मारपीट किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसका खण्डन नहीं होने से उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उसे व उसके पित को आरोपी द्वारा मारपीट कर उपहित कारित करने की पुष्टि की है।
- 7— खोजराम (अ.सा.३) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थीगण को जानता है। घटना लगभग पांच साल पूर्व सुबह के समय की है। वह उस समय अपने खेत गया था और उसने हिरप्रसाद और नान्हू को करीब 200 मीटर की दूरी से देखा था। इसके अलावा उसे अन्य कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार शम्भूलाल (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि घटना के चार—पांच साल पहले की है। वह सुबह 8 बजे अपने खेत घूमने गया था। उसके झगड़ा होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षीगण के कथन से अभियोजन मामलें को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

8— डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक—23.10.1997 को शाम 7:10 बजे पुलिस थाना बैहर के आरक्षक चंद्रशेखर द्वारा आहत नन्हू एवं रामबतीबाई को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया था। आहतगण का परीक्षण करने पर उसने आहत नन्हूलाल के सिर के बांए भाग में एक कटी—फटी चोट पाई थी, जिससे रक्तम्राव हो रहा था, एक खरोंच का निशान, जो तिरछापन लिये, लालिमा लिए, अनियमित किनारे लिये हुए थी, जो पीछे भाग पर दाहिने तरफ थी, दाहिने हाथ में नीला घाव जो डेढ़ इंच तिरछापन लिये हुए था। आहत रामबतीबाई को एक खरोंच का निशान जो तिरछापन लिये एवं लालिमा लिये हुए था, जिसके अनियमित किनारे थे, जो जांघ के बाहर की ओर था, एक खरोंच का निशान, जो तिरछापन, लालिमा लिये हुए अनियमित आकार का था, जो बांयी जॉघ के बाहर की ओर था। आहतगण को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो किसी कड़े एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है और उसके परीक्षण के 12 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट कमशः प्रदर्श पी—2 व 3 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार साक्षी ने आहतगण नन्हूलाल एवं रामबतीबाई को घटना के समय साधारण उपहित कारित होने की पृष्टि की है।

9— सुखदेव कटरे (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—23.10.1997 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होते हुए अपराध कमांक—156/97 में विवेचना का प्रभार थाना प्रभारी द्वारा सौंपे जाने पर दिनांक—23.10.1997 को मौके पर पहुंचकर गवाहों की उपस्थित मौकानक्शा प्रदर्श पी—4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी नान्हूलाल, रामबतीबाई, शंभूलाल, भोजराम के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। आरोपी के फरार होने पर फरारी पंचनामा बनाया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— प्रकरण में आहतगण नन्हूलाल (अ.सा.1) एवं रामबतीबाई (अ.सा.2) ने एकमत में अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा मारपीट कर उन्हें उपहित कारित करने के कथन किये हैं। आरोपी के द्वारा उक्त मारपीट किया जाना एवं आहतगण को उपहित कारित करने का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। चिकित्सीय साक्षी

के कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय उक्त आहतगण को साधारण उपहित कारित हुई थी। आरोपी के द्वारा घटना के समय आहतगण को मारपीट करने में प्रयुक्त साधन से वह आहतगण को उपहित कारित होने की संभावना को जानता था। इस प्रकार आरोपी का उक्त कृत्य आहतगण को स्वेच्छया उपहित कारित करने की श्रेणी में आता है।

- 11— फरियादी व अन्य साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा कथित गाली—गलौज करने के संबंध में यह नहीं बताया है कि आरोपी ने किन शब्दों के उच्चारण के द्वारा उन्हें कथित गाली—गलौज की गई, जो सुनने में बुरी लगी। इस प्रकार कथित अश्लील शब्दों का उच्चारण करने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य का अभाव है। इसके अलावा आरोपी के द्वारा फरियादी नन्हूलाल का रास्ता रोके जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं है। अतएव स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी के द्वारा फरियादी को कथित गाली—गलौज कर क्षोभ कारित किया गया या उसका रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया गया।
- 12— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी नान्हूलाल को अश्लील शब्द का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया व उसे निश्चित दिशा में रोककर सदोष अवरोध कारित किया। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है। अभियोजन ने संदेह से परे प्रमाणित किया है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी के द्वारा आहत नान्हूलाल एवं रामबतीबाई को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 (दो बार) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 13— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगित किया गया।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

पश्चात्-

14— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 1997 से विचारण का सामना किया जा रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड़ से दिण्डत कर छोड़ा जावे।

15— आरोपी के उक्त निवेदन को विचार में रखते हुए प्रकरण के अवलोकन के पश्चात् यह प्रकट होता है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को आहतगण नन्हूलाल एवं रामबतीबाई को पहुंचाई गई चोट हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 (दो बार) के अपराध के अंतर्गत 1,000/—, 1,000/—कुल राशि 2,000/—(दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 (दो बार) के अपराध के अंतर्गत गुगताया जावे।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

17— आरोपी दिनांक—14.08.2001 से दिनांक—18.09.2001 तक एवं दिनांक—14.07.2015 से दिनांक—28.07.2015 तक अभिरक्षा में रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट